IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd , JAMUI

S.T 130/2021

Arising out of P.S. Case No. Khaira 431 /2020 G.R No. 2945/2020

---

1. Tuntun Yadav S/o Basuli Yadav @ Bindeshwari Yadav

Resident of Village- Chowkitand, P.S.- Khaira and Dist.-Jamui
-------------------------------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar
------------------ Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	19-06-2021	काराधीन आवेदक/अभियुक्त टुनटुन यादव की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है तथा अनुसंधानकर्ता ने बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के ही आरोप पत्र समर्पित कर दिया है, उसी अनुसार संज्ञान भी हो गया है तथा आवेदक के पास से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ तथा आवेदक ने इसके पूर्व जमानत आवेदन सं0 556/20 दाखिल किया था, जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, जमुई द्वारा दिनांक 02.01.21 को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि आवेदक कारा अवधि से छः माह पश्चात पुनः जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है तथा आवेदक विगत सात महीने से काराधीन है तथा आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह अभियुक्त जितेंद्र कुमार यादव को इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.21 को जमानत दिया जा चुका है तथा आवेदक का मामला भी उसी धरातल पर आता है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध-पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद में आरोपित धारा 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम है तथा आवेदक पर आरोप है कि आवेदक के पास से एक देशी पिस्तौल, तीन जिंदा गोली एवं दो मोबाईल पुलिस ने बरामद किया था तथा अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 193/20 दिनांक 28.11.20 समर्पित कर दिया है, इसलिए अब इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अब इस वाद में साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ होने की संभावना प्रतीत नहीं होती तथा इसके पूर्व आवेदक ने जमानत आवेदन सं0 556/20 दाखिल किया था जिसे माननीय सत्र न्यायाधीश, जमुई द्वारा दिनांक 02.01.21 को खारिज करते हुए निर्देश दिया था कि छः माह की कारा अवधि व्यतीत होने के पश्चात आवेदक पुनः जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है तथा अभी यह वाद आरोप गठन पर सुनवाई हेतु नियत है तथा आवेदक इस वाद में दिनांक 04.10.20 से लगातार काराधीन है, इस प्रकार आठ माह से अधिक की कारा अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा इसी आधार पर सह अभियुक्त जितेंद्र कुमार यादव को मेरे द्वारा दिनांक 11.06.21 को पारित आदेश द्वारा जमानत दिया जा चुका है। वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए	

	<u>पश्चात्</u> 19.06.21	आवेदक / अभियुक्त टुनटुन यादव को बीस हजार रूपया के दो प्रतिभू सहित बंध–पत्र दाखिल करने इस शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक प्रतिभू आवेदक का निकट संबंधी अर्थात माता / पिता / पत्नी / पुत्र / भाई होगा तथा आवेदक विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा तथा लगातार दो तिथि पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने पर उसका बंध पत्र रद्द किया जा सकता है तथा यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक इस वाद में आरोप गठन के पश्चात ही अपना बंध पत्र न्यायालय में दाखिल करेगा। लेखापित -SD- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय जमुई।	

Web Copy